प्रपत्र '5'

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

केवल निर्माण अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

श्री खालिद मसूद पुत्र श्री मसूद अहमद,
निदेशक, शालीमार कार्प0लि0,
एस0ए0एस0 होटल्स एण्ड प्रापर्टीज लि0
ग्राम मोहम्मदपुर चौकी, बाराबंकी।

महोदय,

कालोनी मार्ग लखनऊ–फैजाबाद मार्ग मोहल्ला/बाजार/ग्राम मोहम्मदपुर चौकी नगर बाराबंकी के प्लाट .....घर/के सजरा संख्या ले–आउट प्लान में दर्शित शजरा सं0, भवन सं0...... ./मे ले–आउट प्लान/सारवान/परिवर्तन/गिराने के लिए अनुज्ञा देने के आपके मानचित्र संख्या 163/385/2009 के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर औपबन्धिक स्वीकृत दे दी गई है ~~/देने से इन्कार कर दिया है~~–

1. आवेदक/संस्था द्वारा विकसित की जा रही भूमि/परिसर के क्षेत्रफल के अन्दर पडने वाली नाली तथा चकमार्ग की भूमि को एक्जाई कर संस्था द्वारा छोडे जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने तथा अन्य भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की दशा में तलपट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसके लिये आवेदक/संस्था को पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।
2. यदि किसी न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी समझी जायेगी।
3. ऐसी कोई विधि/उपविधि/शासनादेश, जो इस समय प्रभावी हो अथवा भविष्य में लागू हो तथा इस मानचित्र की स्वीकृति के विपरीत हो तो यह अनुमति उक्त विधि/उपविधि/शासनादेश के सर्वथा अधीन रहेगी।
4. संस्था/आवेदक द्वारा उक्तानुसार एक्जाई कर छोडी गयी भूमि का उपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर पडने वाली नाली/चकरोड की भूमि तथा उसे एक्जाई करके संस्था द्वारा छोडी गयी भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा पृथक से निस्तारण किया जायेगा।
5. छोडी गयी भूमि का प्रबन्धन ग्राम सभा/राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक हित में किया जाना होगा।
6. ई0डब्लू0एस0 तथा एल0आई0जी0 हाउसिंग के लिये शासनादेश सं0 3338/ आठ–1–11–80 विविध/2010 दिनांक 26.09.2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. प्रस्तावित निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था, हरित पट्टिका संरक्षण, वृक्षारोपण, खुले पार्कों का विकास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था शासनादेशानुसार मौके पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
8. संस्था द्वारा ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार बनाया जायेगा, जिससे बरसाती/प्राकृतिक जल–प्रवाह बाधित न हो तथा निर्माण के कारण आस–पास की आबादी में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।
9. समस्त वांछित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करनी होगी।
10. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन में अध्यासन/क्रय–विक्रय अनुमन्य होगा।
11. समस्त सर्विसेज का विकास एवं संयोजन पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित करना होगा।
12. सीवर तथा इसका निस्तारण, पानी की निकासी, पेयजल व्यवस्था आदि सम्बन्धित विभागों के मानकों के अनुरूप विकसित कर स्थानीय संस्थाओं को नियमानुसार हस्तान्तरित करने तक सेवाओं की देख–रखाव की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता/भू–स्वामी की रहेगी।
13. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

21.6.13
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र,बाराबंकी।

अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र,
बाराबंकी।

अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति।
पत्रांक/सूचना संख्या 163/385/2009
दिनांक 21.06.2013

RAC-279-